

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्या :- 146/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
----------------	------------------------------------	---

27-7-21 आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुई । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा प्रस्ताव मय अनुशंषा अन्तर्गत धारा 131,136 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि काशतकारान के नाम से चक 5 एमकेएम की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में निम्न तालिका अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं :-

क.	नाम कृषक	राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज विवरण	खातेदारी सनद अनुसार रकबे का विवरण	कॉमन/सम्मिलित रूप से दर्ज रकबे का विवरण	अनुशंषा
1	रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार	मु.नं. 222/24 में 17.10 बीघा, 222/32 में 10 बीघा, 223/25 में 11 बीघा कुल 38.10 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 222/24 में 17.10 बीघा, 222/32 में 09 बीघा, 223/25 में 11 बीघा कुल 37.10 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 6,7,10,13ता15 कुल 6 बीघा	उक्त कॉमन 06 बीघा रकबा रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार के नाम रखा जाना है।
2	कुनणादेवी पत्नी स्व. पेमाराम वगैरह कौम ब्राह्मण साकिन ढेढार तह. सूरतगढ़	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 6,7,10ता20 कुल 17 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 11,12,16ता20, 22ता25 कुल 11 बीघा		

उक्त तालिका में उल्लेखित कॉमन 06 बीघा रकबा रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार के नाम रखा जाने हेतु अनुशंषा की गई हैं। प्रस्ताव स्टेट जरिये तहसीलदार अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड में काशतकारान का नाम व रकबा जोड़ने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर की रिपोर्ट/अनुशंषा प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिक बयान पर्चा मौका, नक्शा, रिपोर्ट/अनुशंषा प्रस्ताव तहसीलदार ग्राम 5 एमकेएम की जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के तालिका में उल्लेखित रकबे अनुसार काशतकारान के नाम से उक्त कॉमन 06 बीघा रकबा रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार के नाम रखा जाना है।

पटवारी हल्का कपूरीसर व भू-अभिलेख निरीक्षक शेखसर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा न्यायालय हाजा में प्रेषित प्रस्ताव मय अनुशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः स्टेट जरिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तावना पत्र उचित प्रतीत होती है।

उप खण्ड अधिकारी
लूनकरनसर




लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131,136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थी/खातेदार के नाम निम्न तालिका अनुसार दर्ज रिकॉर्ड कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करे :-

क्र.	नाम कृषक	राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज विवरण	खातेदारी सनद अनुसार रकबे का विवरण	कॉमन/सम्मिलित रूप से दर्ज रकबे का विवरण	अनुशंषा
1	रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार	मु.नं. 222/24 में 17.10 बीघा, 222/32 में 10 बीघा, 223/25 में 11 बीघा कुल 38.10 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 222/24 में 17.10 बीघा, 222/32 में 09 बीघा, 223/25 में 11 बीघा कुल 37.10 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 6,7,10,13ता15 कुल 6 बीघा	उक्त कॉमन 06 बीघा रकबा रामदयाल पुत्र मानाराम कौम ब्राह्मण साकिन कपूरीसर खातेदार के नाम रखा जाना है।
2	कुनणादेवी पत्नी स्व. पेमाराम वगैरह कौम ब्राह्मण साकिन डेढार तह. सूरतगढ़	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 6,7,10ता20 कुल 17 बीघा अनकमाण्ड	मु.नं. 223/25 में किला नम्बर 11,12,16ता20, 22ता25 कुल 11 बीघा		

इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज दिनांक 27/07/21 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(भागीरथ शाख) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर



(1) Public Utility purpose

(1) Sub Divisional Officer - Where area does not exceed 10,000 square